राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 1 (27)उद्योग/ग्रुप–2/2015 जयपुर, दिनांक 18 NOV 2015

–: अधिसूचना :–

" भामाशाह रोजगार सृजन योजना "

1. प्रस्तावना :–

राज्य सरकार अपने सुराज संकल्प–2013 के बिन्दु संख्या 4.45, 5.04, 5.24 एवं 13.09 के माध्यम से राज्य के पंजीकृत बेरोजगार नवयुवकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु कृतसंकल्पित है। अतः लक्षित वर्ग को स्वरोजगार हेतु बैंकों से कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। सुराज संकल्प–2013 के उपरोक्त बिंदुओं में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ब्याज अनुदान आधारित यह योजना प्रारम्भ की जा रही है।

योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र पर निर्भरता को कम करने हेतु अकृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम, (उद्योग, सेवा एवं व्यापार) को व्यवहार्य आधार पर स्थापित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नवीन अवसर सृजित करना है, जिससे न केवल समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति सुगम होगी अपितु रोजगार हेतु शहरों की ओर बढ़ते पलायन पर अंकुश लगेगा।

2. योजना का नाम एवं परिचालन अवधि :–

योजना का नाम "**भामाशाह रोजगार सृजन योजना**" होगा। यह योजना राजस्थान राज्य के क्षेत्राधिकार में क्रियान्वित की जायेगी, जो दिनांक **13 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2020** तक प्रभावी रहेगी।

3. पात्रता :–

1. आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी हो।
2. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष हो।
3. आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य केन्द्रीय/राजकीय रोजगारमूलक अनुदान योजना में विगत 5 वर्ष में लाभान्वित न हो, परिवार के सदस्य किसी भी वित्तीय संस्थान के दोषी न हो तथा परिवार की वार्षिक आय छः लाख रूपये से अधिक न हो, इस हेतु प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिवार से आशय स्वयं, स्वयं के पति/पत्नी, माता–पिता एवं बच्चों से है। (विवाहित महिला के मामलों में माता–पिता के स्थान पर सास–ससुर होंगे)
4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक शाखाओं द्वारा वित्त पोषित किये जाने वाले उद्योग/सेवा/व्यापार के नये उपक्रमों को योजना के लाभों हेतु पात्र माना जावेगा।

4. ऋणदात्री संस्थाऐं :–

योजनान्तर्गत निम्नांकित संस्थाऐं वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी :–

1. राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. को–ऑपरेटिव बैंक

यदि उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य बैंक योजना के क्रियान्वयन में सम्मिलित होना चाहते है तो सबंधित बैंक के राज्य स्तरीय शीर्ष अधिकारी द्वारा आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर को आवेदन करना होगा। भागीदार बैंक सूची में सम्मिलित करने हेतु आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

5. योजना का क्रियान्वयन :–

योजना का क्रियान्वयन उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा। कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी होगा ।

6. ऋण एवं ब्याज अनुदान की मात्रा :–

बैंकों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान सहायता निम्नानुसार होगी:–

क्र.सं.	आवेदक की श्रेणी	सेवा, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र		उद्योग क्षेत्र	
		ऋण सीमा (राशि रू. में)	ब्याज अनुदान की दर	ऋण सीमा (राशि रू. में)	ब्याज अनुदान की दर
1.	पंजीकृत बेरोजगार*	5,00,000	4%	5,00,001/–से 10,00,000/– तक	4%
2.	महिला	2,00,000	4%	–	-
3.	शिक्षित बेरोजगार महिला**	5,00,000	4%	5,00,001/–से 10,00,000/– तक	4%
4.	अनुसूचित जाति/अनु जनजाति शारीरिक विकलांग	5,00,000	4%	5,00,001/–से 10,00,000/– तक	4%

*** पंजीकृत बेरोजगार से अभिप्रायः राज्य सरकार के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अभ्यार्थी से है ।**

**** शिक्षित बेरोजगार महिला से अभिप्रायः राज्य/केन्द्र सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम हॉयर/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार महिला अभ्यार्थी से है।**

प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर बैंक, ऋण के बारे में अपना निर्णय लेंगें, जिसमें मार्जिन मनी का निर्धारण बैंक नियमानुसार होगा तथा ऋण के पेटे गारंटी/सम्पार्श्विक प्रतिभूति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों की पालना की जावेगी।

7. ऋण की अवधि एवं अदायगी अवधि में छूट :–

योजना में बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक होगी। बैंकों द्वारा ऋणी को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी, जो उपक्रम की प्रकृति/लाभप्रदता एवं ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता के आधार पर बैंकों द्वारा निश्चित की जावेगी। ऋण अदायगी की शिथिलता अवधि में भी ब्याज राशि के नियमित भुगतान पर योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान देय होगा।

8. आवेदन पत्रों की छानबीन :–

(1) योजना में पात्र आवेदक संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में आवेदन कर सकेंगें। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य सम्मिलित होगें :–

1. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	संयोजक
2. अग्रणी बैंक के जिला अग्रणी प्रबन्धक अथवा अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जिला समन्वयक अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
4. जिला रोजगार अधिकारी अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
5. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग	सदस्य
6. स्थानीय राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक/आई.टी.आई. या एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान के प्रतिनिधि	तकनीकी सदस्य
7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य सचिव

(नोटः– उक्त समिति में बैंक का एक प्रतिनिधि होना आवश्यक है।)

यह टास्क फोर्स योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन कर आवेदक की तकनीकी जानकारी, योजना की व्यवहार्यता के आधार पर आवेदकों को सूचीबद्ध करेगी। टास्कफोर्स समिति साक्षात्कार के माध्यम से आवेदक की प्रस्तावित परियोजना के संबंध में शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, पैतृक/अनुभव से प्राप्त ज्ञान, परियोजना में रूचि, उद्यमिता योग्यता, परियोजना की सफलता की संभावना, ऋण अदायगी के प्रति ईमानदारी का आंकलन आदि के आधार पर योग्य/पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। टास्क फोर्स समिति द्वारा चयन होने पर आवेदक का आवेदन पत्र ऋणदात्रि बैंक शाखा को अग्रेषित किया जायेगा। टास्क फोर्स समिति जिला स्तर पर योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं मोनेटरिंग हेतु भी उत्तरदायी होगी।

(2) योजना में भागीदार बैंकों की शाखाएं भी अपने स्तर पर पात्र व्यक्तियों से सीधे आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेगी तथा बैंक नॉर्म्स अनुसार परियोजना की व्यवहार्यता की जांच उपरान्त, आवेदन पत्र दो प्रतियों में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को मय अभिशंषा के प्रेषित करेगी, जिसे योजना में विहित मानदण्डों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर टास्कफोर्स से अनुमोदन उपरान्त संबंधित बैंक को अग्रेषित किया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों को टास्क फोर्स के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलानें की आवश्यकता नहीं होगी ।

(3) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैक शाखाओं द्वारा योजना के अनुच्छेद 3.1, 3.2 व 3.3 में वर्णित पात्रता रखने वाले वित्त पोषित उद्योग/सेवा/व्यापार के नये उपक्रमों/उद्यमियों को (अनुच्छेद 14 में वर्णित अपात्र गतिविधियों के अतिरिक्त) टास्क फोर्स समिति में अनुमोदन पश्चात् योजना के लाभों हेतु पात्र माना जावेगा।

9. योजना का क्रियान्वयन :–

(1) आवेदक निर्धारित प्रपत्र में वांछित दस्तावेजों सहित ऋण हेतु आवेदन संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में करेंगे।

(2) जिला उद्योग केन्द्र में प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त आवेदकों को टास्क फोर्स समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। टास्क फोर्स समिति द्वारा चयनित किये जाने पर संबंधित आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति/वितरण हेतु ऋणदात्री बैंक को अग्रेषित किया जायेगा।

(3) जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त ऐसे आवेदन पत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि में ऋणदात्री बैंक शाखा द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृत/निरस्त करने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला उद्योग केन्द्र एवं आवेदक को प्रेषित की जायेगी।

(4) ऋणदात्री बैंक ऋण स्वीकृति उपरान्त सम्बंधित आवेदक को नियमानुसार ऋण वितरण करेगें। ऋणदात्री बैंक द्वारा ऐसे मामलों में ऋणी द्वारा चुकाये गये ब्याज के पुनर्भरण हेतु प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद निर्धारित प्रपत्रानुसार मांगपत्र (क्लेम) संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किये जायेंगे। मांगपत्रानुसार महाप्रबंधक द्वारा योजनान्तर्गत देय ब्याज अनुदान की स्वीकृति एवं वितरण यथाशीघ्र किया जायेगा, जो जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत के अध्याधीन होगा।

(5) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्त पोषित उद्योग/सेवा/व्यापार के नये उपक्रमों/उद्यमियों को टास्क फोर्स समिति में अनुमोदन हेतु बैक शाखाओं द्वारा सूची भिजवाई जावेगी। अनुमोदन पश्चात् टास्क फार्स के सदस्य सचिव द्वारा संबंधित बैंक शाखाओं को सूचित किया जावेगा। तत्पश्चात् अनुमोदित प्रकरणों को योजना के लाभों हेतु अन्य सामान्य अभ्यार्थियों की भांति पात्र माना जावेगा।

(6) राज्य में समग्र रुप से योजना का सफल क्रियान्वयन एवं जरुरतमंद व्यक्ति को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने की दृष्टि से बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज व्यवस्था को प्रभावी बनाया जायेगा। जिसमें योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग्स, बैनर्स,

पम्पलेट्स, पोस्टर्स सहित आधुनिक इलैक्ट्रोनिक साधनों का उपयोग सहित जागरुकता शिविरों का आयोजन किया जावेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत संधारण, स्क्रुटनी एवं जॉच, टास्कफोर्स समिति की बैठकों का आयोजन, चयनित आवेदन पत्रों को बैंकों में अग्रेषण, बैंको से स्वीकृत/वितरित प्रकरणों की सूचना प्राप्त कर तद्नुसार इन्द्राज करना, बैंको से ब्याज अनुदान क्लेम्स प्राप्त कर स्वीकृति पत्र जारी कर भुगतान करनें, रिकॉर्ड का संधारण एवं सूचनाओं के संप्रेषण हेतु उपयुक्त वेब पोर्टल आदि से संबंधित कार्य बाहरी एजेन्सी से करवाये जा सकेंगे ।

10. योजना के लक्ष्यों का निर्धारण एवं मोनिटरिंग :–

राज्य के लक्ष्यों का आवंटन कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रवार किया जायेगा। जिला उद्योग केन्द्र को आवंटित लक्ष्य को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला अग्रणी प्रबंधक की सहायता से सहभागी बैंकों के मध्य आवंटित करेंगे। सहभागी बैंको के जिला समन्वयक/सक्षम अधिकारी आंवटित लक्ष्यों को अपनी बैंक की शाखाओं में शाखावार निर्धारण कर सकेगें।

इस योजना की निरंतर मॉनिटरिंग, खण्ड स्तर पर खण्डस्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तर पर जिलास्तरीय बैंकर्स समिति एवं राज्य स्तर पर राज्यस्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से की जायेगी।

11. निर्बन्धन एवं शर्ते :–

अ– योजनान्तर्गत ऋणी बैंक से प्राप्त ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु करेंगे, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।

ब– ब्याज अनुदान सहायता उपक्रम के सफल संचालन एवं ऋण के समय पर भुगतान करने पर देय होगी। ऋणदात्री बैंक द्वारा प्रेषित मांग पत्र में ऋणी के ऋण अदायगी में दोषी नहीं होने व परियोजना सुचारू रूप से संचालित किये जाने के सबंध में निर्धारित प्रपत्र मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स– ऋण खाता **NPA** (गैर निष्पादन आस्तियाँ) श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा पुनः उद्यम संचालित कर नियमित कर दिया जाता है, तो उक्त अवधि का सामान्य दर पर ब्याज अनुदान देय रहेगा, जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तो के अध्याधीन होगा।

12. प्रक्रिया व दिशा–निर्देश :–

योजना के सुचारू संचालन के संबंध में प्रक्रिया, दिशा निर्देश व प्रपत्रों के प्रारूप निर्धारण हेतु कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग सक्षम होगा।

13. योजना में परिवर्तन एवं उसकी व्याख्या :–

इस योजना में किसी बिन्दु पर व्याख्या, संशोधन एवं परिवर्द्धन के अधिकार आयुक्त, उद्योग, राजस्थान में निहित होंगे।

14. "भामाशाह रोजगार सृजन योजना" अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची :–

1. कृषि संबंधित गतिविधियाँ (पशुपालन एवं डेयरी को छोड़कर)।
2. मादक पदार्थों का निर्माण व उनसे बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
3. मांस की पैकेजिंग व मांस से बने उत्पाद का निर्माण व विक्रय।
4. तम्बाकू उत्पाद का निर्माण व उनका विक्रय।
5. विस्फोटक पदार्थ।
6. परिवहन [ऑटो रिक्शा, लोंडिंग रिक्शा, साईकिल रिक्शा एवं "टैक्सी (कार/जीप/वैन) जिसकी अधिकतम कीमत 7 लाख रु. तक हो, को छोड़कर"]
7. 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन की थैलियों का विनिर्माण और पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबंधित उत्पाद।
8. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियॉ।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 101504133 दिनांक 28.10.2015 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

(शुचि शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग/उद्योग।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. सम्भागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर, (समस्त) राजस्थान।

11. निदेशक, प्रिन्टिग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
12. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त राजस्थान)।
14. रक्षित पत्रावलीं।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक : एफ.23( )आ.उ./BRSY/2015–16 दिनांक : 24/2/2016

संशोधन आदेश

राज्य सरकार के उद्योग (ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(27)उद्योग/ग्रुप–2/2015 दिनांक 18.11.2015 द्वारा जारी भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अनुच्छेद 14 के कम संख्या 1 पर अंकित वाक्य " कृषि संबंधित गतिविधियाँ (पशुपालन एवं डेयरी' को छोड़कर)।" को संशोधित कर " **कृषि संबंधित गतिविधियाँ (पशुपालन एवं डेयरी के सहित)।"** किया जाता है।

(अभय कुमार)
आयुक्त, उद्योग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय्र मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
3. निजि सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई, जयपुर।
7. आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. सम्भागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
9. जिला कलेक्टर, (समस्त) राजस्थान।
10. निदेशक, प्रिन्टिग एवं स्टेशनरी, राजस्थान जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
11. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र(समस्त)।
13. रक्षित पत्रावली।

24/2/16
उप निदेशक, उद्योग
(बीआरएसवाई)

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(27)उद्योग/ग्रुप–2/2015 दिनांक : 22 SEP 2017

–: संशोधन आदेश :–

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक प.1(27)उद्योग/ग्रुप–2/2015, दिनांक 18.11.2015 द्वारा जारी भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अनुच्छेद–6 को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

6. <u>ऋण एवं ब्याज अनुदान की मात्रा</u> :–

योजनान्तर्गत व्यापार व सेवा क्षेत्र उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम रू. 10 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम रू. 25 लाख तक ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। यदि बैंक ऋण पर देय ब्याज दर 8 प्रतिशत अथवा उससे कम है तो शत–प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। योजनान्तर्गत लाभ बेरोजगार आवेदक जो भामाशाह योजना में पंजीकृत हो, को ही देय होगा।

प्रत्येक परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर बैंक ऋण के बारे में अपना निर्णय लेंगें, जिसमें मार्जिन–मनी का निर्धारण बैंक नियमानुसार होगा तथा ऋण के पेटे गारन्टी/सम्पार्श्विक प्रतिभूति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों की पालना की जावेगी।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. क्रमांक 101704937 दिनांक 15.09.2017 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, एम.एस.एम.ई. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त, (समस्त)।
11. जिला कलेक्टर, (समस्त) ।
12. निदेशक, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें ।
13. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, (समस्त, राजस्थान)
15. रक्षित पत्रावली

विशिष्ट शासन सचिव,